संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: पशुपालन विभाग के कार्मिक श्री नवीन सिंह गर्ब्याल, पशुधन प्रसार अधिकारी को अनुसूचित जाति के आधार पर उत्तराखंड राज्य आवंटन पर विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री नवीन सिंह गर्ब्याल, पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा दिये गए प्रत्यावेदन पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवंटन संबंधित दिशानिदेशों के अनुसार उत्तराखंड राज्य पुनरावंतन हेतु परामर्शी समिति की दिनांक 02-02-2012 को हुई बैठक में विचार किया गया । समिति को बताया गया कि श्री नवीन सिंह गर्ब्याल की नियुक्ति वर्ष 2003 में हुई है जो नियत तिथि 009-02-2011 के पश्चात है । इस पर समिति द्वारा नोट किया गया कि परामर्शी समिति केवल नियत तिथि से पूर्व नियमित कार्मिकों के प्रकरणो पर ही विचार कर निर्णय लेती है । जब श्री गर्ब्याल नियत तिथि को सेवा में ही नहीं थे, इनका प्रकरण समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तथा इस पर समिति द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है । दोनों राज्यो के प्रशासनिक विभाग अपने स्तर से निर्णय लेने हेतु सक्षम है ।

2. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री नवीन सिंह गर्ब्याल, पशुधन प्रसार अधिकारी के प्रत्यावेदन पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है । दोनों राज्य सरकारें मामले के निपटान हेतु आवशयक कार्यवाही करे । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।

2. अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

Deptt. of P&T ... Receipt & Issue Section
22

संख्या- 27/02/2012-एस.आर.एस
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 22 जून, 2012

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषयः मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अन्य पिछड़ी जाति के कार्मिक श्री गोविन्द प्रसाद चौधरी, ड्राफटमैन का राज्य पुनरावंटनार्थ रिट याचिका संख्या 58(एस.एस.)/06 शेर सिंह बनाम भारत गणराज्य में अंतिम निर्णय के अधीन दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा 09.02.2012 को आयोजित बैठक में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अन्य पिछड़ी जाति के कार्मिक श्री गोविन्द प्रसाद चौधरी, ड्राफटमैन का राज्य पुनरावंटनार्थ रिट याचिका संख्या 58(एस.एस.)/06 शेर सिंह बनाम भारत गणराज्य में अंतिम निर्णय के अधीन दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार किया गया । श्री गोविन्द प्रसाद चौधरी, ड्राफटमैन अन्य पिछड़ी जाति के कार्मिक हैं। ऐसी स्थिति में श्री चौधरी भारत सरकार द्वारा जारी शासनादेश दिनॉक 24-06-2010 द्वारा आच्छादित नही होते है। अतः समिति द्वारा श्री गोविन्द प्रसाद चौधरी, ड्राफटमैन का प्रत्यावेदन निरस्त करते हुये उनका उत्तराखण्ड राज्य आवंटन यथावत् बनाये रखे जाने कि सस्तुति की गई।

भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री गोविन्द प्रसाद चौधरी, ड्राफटमैन का राज्य आवंटन उत्तराखंड के लिये बना रहेगा । संबंधित कार्मिकों से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाये ।

भवदीय,
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपिः-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, लखनऊ ।
2. अपर सचिव(स्वतन्त्र प्रभार), उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग, सचिवालय, देहरादून।